SHRI D. D. DESAI : It is said not a drop of water of the Kaveri is allowed to go as waste to the ocean whereas 100 per cent of Narmada is going to the ocean as waste. This is the difference.

SHRI MOHSIN : That is correct, but when the matter is before the Tribunal, it is unwise to give any opinion. Let us await the decision of the Tribunal. Then the Government will consider it. Let all these disputes be settled. Then utilisation will be considered by the Irrigation Minister.

Some of our friends have made a point about the gas price. It is true that there is a kind of grievance in Gujarat as regards the gas price, but the Governor has taken up the matter with the Central Government and also with the ONGC. He came here personally and discussed the matter. The officials of the Gujarat Government are at it. They are holding conversations with the officials of the Petroleum and Chemicals Ministry. They have also held discussions with the officers of ONGC. I think a satisfactory solution will be reached early.

SHRI K. S. CHAVDA : How much time will it take ? Here the Tribunal does not come in the way. It only depends on the Government of India.

SHRI MOHSIN : That depends on the negotiations. Discussions are going on at present. The Gujarat Governor is also very serious about it. I think very soon a decision will be reached.

SHRI D. D. DESAI : I raised the point that energy in the form of water at hydro-electric headworks should also be charged on a *pro rata* basis when the gas charged.

SHRI MOHSIN : All these matters will be discussed.

It will be appreciated that the Proclamation was issued only when Shri Hitendra Desai, the former Chief Minister, came to the Governor and said that he was unable to continue the Government. He had done it once before on 31.3.1971, but again when he got majority, he was allowed to form the Government, and that Government continued till 12th May. The party position before the Proclamation of President's rule was this : Congress (O)—68 ; Congress (R)—67 ; Swatantra—11 ; Independents—13 ; PSP—3 ; Jan Sangh—1 ; vacant seats—5. From this it is clear that no party was in a position to form another Ministry. The vote on account had been taken only for the first quarter and further provision had to be made. There was no alternative for the Governor but to advise the President to issue the Proclamation and that was issued. So, the Proclamation was justified in all possible ways and I have come here to seek approval of the House. I appeal to the hon. members of this House to accord approval to the Proclamation.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 13th May, 1971, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Gujarat."

The motion was adopted.

15.50 hrs.

PUNJAB BUDGET 1971-72 GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS

MR. CHAIRMAN : We shall take up to together items 6 and 7, General discussion on the Budget and voting on the demands for grants in respect of the Punjab Budget.

DEMAND No. 1—LAND REVENUE

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,48,39,400 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Land Revenue'."

DEMAND No. 2—STATE EXCISE DUTIES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 19,87,800 be granted to the President *to complete* the

sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'State Excise Duties'."

DEMAND No. 3—TAXES ON VEHICLES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 5,85,700 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Taxes on Vehicles'."

DEMAND No. 4—SALES TAX

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That a sum not exeeding Rs. 43,37,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Sales Sax'."

DEMAND No. 5—OTHER TAXES AND DUTIES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 22,76,200 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Other Taxes and Duties'."

DEMAND No. 6—STAMPS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,95,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Stamps'."

DEMAND No. 7—REGISTRATION FEES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 41,700 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Registration Fees'."

DEMAND No. 8—PARLIAMENT, STATE/UNION TERRITORY LEGISLATURES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 35,23,500 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Parliament State/Union Territory Legislatures'."

DEMAND No. 9—GENERAL ADMINISTRATION

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,74,73,700 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'General Administration'."

DEMAND No. 10—ADMINISTRATION OF JUSTICE

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 63,43,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Administration of Justice'."

DEMAND No. 11—JAILS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 94,93,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of Jails'."

DEMAND No. 12—POLICE

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 6,70,23,900 be granted to the President *to complete* the

sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Police'."

DEMAND No. 13—SUPPLIES AND DISPOSALS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,76,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Supplies and Disposals'."

DEMAND No. 14—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 67,28,600 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of. 'Miscellaneous Departments'."

DEMAND No. 15—SCIENTIFIC DEPARTMENTS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,41,900 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Scientific Departments'."

DEMAND No. 16—EDUCATION

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 24,26,54,600 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Education'."

DEMAND No. 17—MEDICAL

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,45,98,300 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Public health'."

DEMAND No. 18—PUBLIC HEALTH

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,98,32,500 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Public Health'."

DEMAND No. 19—FAMILY PLANNING

MR. CHAIRMAN : Motion moved -

"That a sum not exceeding Rs. 1,23,97,500 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Family Planning'."

DEMAND No. 20—AGRICULTURE

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,91,52,600 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Agriculture'."

DEMAND No. 21—ANIMAL HUSBANDRY

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,84,31,600 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Animal Husbandry'."

DEMAND No. 22—CO-OPERATION

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,17,10,400 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Co-operation'."

DEMAND No. 23—INDUSTRIES

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 1,33,10,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Industries'."

DEMAND No. 24—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 4,78,67,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works'."

DEMAND No. 25—LABOUR AND EMPLOYMENT

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 1,81,62,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Labour and Employment'."

DEMAND No. 26—MISCELLANEOUS, SOCIAL AND DEVELOPMENTAL ORGANISATIONS

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 84,58,100 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Miscellaneous Social and Developmental Organisations'."

DEMAND No. 27—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 3,49,66,190 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Multipurpose River Schemes'."

DEMAND No. 28—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL)

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 4,51,47,900 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-Commercial)."

DEMAND No. 29—CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 2,56,08,090 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Charges on Irrigation Establishment'."

DEMAND No. 30—PUBLIC WORKS

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 5,87,26,680 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Public Wotks'."

DEMAND No. 31—CHARGES ON BUILDINGS AND ROADS ESTABLISHMENT

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 1,27,78,670 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Charges on Buildings and Roads Establishment,."

DEMAND No. 32—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,24,30,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

DEMAND No. 33—ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 6,71,58,300 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Road and Water Transport Schemes'."

DEMAND No. 34—FAMINE RELIEF

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 86,34,900 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Famine Relief'."

DEMAND No. 35—PENSIONS AND OTHER RETIREMEMT BENEFITS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,48,41,700 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Pensions and Other Retirement Benefits'."

DEMAND No. 36—PRIVY PURSES AND ALLOWANCES OF INDIAN RULERS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,89,900 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Privy Purses and Allowances of Indian Rulers'."

DEMAND No. 37—STATIONERY AND PRINTING

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,04,81,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Stationery and Printing'."

DEMAND No. 38—FORESTS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,05,87,110 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Forests'."

DEMAND No. 39—MISCELLANEOUS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 4,16,88,620 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Miscellaneous'."

DEMAND No. 40—OTHER MISCELLANEOUS COMPENSATIONS AND ASSIGNMENTS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,36,900 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Other Miscellaneous Compensations and Assignments'."

DEMAND No. 41—PREPARTITION PAYMENTS :

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,500

be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Prepartition Payments'."

DEMAND No. 42—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND RESEARCH

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 49,02,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research'."

DEMAND No. 43—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,84,56,300 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

DEMAND No. 44—CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 11,01,62,700 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Multipurpose River Schemes'."

DEMAND No. 45—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL)

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 3,84,70,970 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)'."

DEMAND No. 46—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 9,81,15,650 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

DEMAND No. 47—CAPITAL OUTLAY ON OTHER WORKS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 9,52,500 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Other Works'."

DEMAND No. 48—CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,34,88,800 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes'."

DEMAND No. 49—PAYMENTS OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS

MR. CHAIRMAN ; Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 1,50,000

be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Payments of Commuted Value of Pensions'."

DEMAND No. 50—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs, 26,32,26,000 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Capital Outlay on Schemes of Government Trading'."

DEMAND No. 51—LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC. AND LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 17,19,69,800 be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of 'Loans to Local Funds—Private Parties, etc. and Loans to Government Servants'."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : We certainly do not like States budgets coming up before this House for discussion and approval. But it is happening for quite some time now. The role of the Governor acting as the political agent of the Central Government should be noted. For the last twenty years the Governors had very little to do, although they had to do occasional manipulations as you saw in Madras in 1952 and they live a life of pampered colonial baron with duty free imported luxury items and so on.

In 1967 after the Congress had lost its power, particularly in the States, this immorality was intensified by ruling party. They wanted energisation of the central political agency of the Governor because they were serving the ruling party at the Centre, their employers, and they adopted multiple standards, although in 1969 in the Governors' conference itself, it was resolved that the Chief Ministers' majority has to be established in the Assembly and not by the Governor. Yet they have been flouting that every day. We have seen the conduct of Dharma Vira in West Bengal. With the help of money bags the Centre had raised enormous amount of funds and MLAs were sold and purchased at values between Rs. 9,000 and Rs. 1,20,000 per head—all this money was provided by the money bags, the great patron saints of the Congress Party.

15.52 hrs.

[SHRIMATI SHEILA KAUL *in the Chair*]

We also say that the Chief Minister's power to dissolve the Assembly is another thing that we totally disapprove of. It should not be there. By these actions of the Central Government and its political agency in the form of Governors in the States, the Centre-State relationship has been seriously damaged. The federal structure has been damaged. The standard of morality has gone down considerably. In 1971, every recently, Shri Jyoti Bosu the leader of the largest party was not allowed to prove his majority on the floor of the Assembly because the Governor had to keep his masters in Delhi pleased. If he was called upon to do, Shri Jyoti Bosu would have established his majority on the floor of the House....

SHRI A.K.M. ISHAQUE (Basirhat) : Another lunatic said that if he was given a chance, he would form a Government.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Do not natter, Mr. Ishaque ; if you want to speak get up and speak ; do not natter. The Governor gives the advantage to a chosen leader through his arbitrary decision by inviting him to form a Ministry. That gives him a very great added advantage in the matter of support, particularly the support of the MLAs sitting on the fence, who have a value on their head. My party stands for one formula : that the majority at any time of the assembly must be established on the floor of the House. We also go to the extent of saying that the leader of

[Shri Jyotirmoy Bosu]

the Assembly should first establish himself as the leader of the Assembly and then the oath should be administered to him, not that the oath comes first and then he goes to market to buy support by horse trading and then becomes the leader. We disapprove of President's rule because it is against the practice of democracy. This is being done so often and so frequently that it is a marter of deep regret and shame for us.

Sir, in the Punjab, the Governor's action has partly boomeranged on a faction of the Congress organisation, although we are not very certain if the other section had disliked it. Dr. Pavate was unhappy with the whole Congress set-up. Since the episode of Dr. Lachhman Singh Gill, he did not like the whole thing. So he was very happy in his heart of hearts; and there was disagreement in the Home Ministry at Delhi. There was disagreement between Sardar Swaran Singh and our learned friend, Sardar Darbara Singh. One section, Sardar Swaran Singh, with the Prime Minister's blessing behind him, wanted the dissolution of the Assembly. That suited him best. The other group supported by Mr. Jagjivan Ram, wanted the Ministry to be bombed. Therefore, Dr. Pavate preferred, chose to dissolve the Assembly. (*Interruption*) What trunk telephone calls were exchanged between Sardar Darbara Singh and others? What did they do in the last two months? They did intense horse-trading. I cannot gurantee that a part of the State Bank's deposited money was meant for doing horse-trading in Punjab. I am not very sure, but certainly the horse-trading was not done with empty hands. But we know this much: that Sardar Gurnam Singh was promised a Congress ticket, and that is how you tried to do job. In any case, you have brought down the morality once again in Punjab. That is what you have been doing so frequently everywhere.

About the budget side, I would say that it is a great pity, because we know so little about Punjab's budget. We had no time to study it carefully. We do not know the facts that should be studied. Just we are doing something which should not be done. It is not nice; to you realise that you are doing something which is not to be done? But a few things have been brought to our notice. One is, in November, 1970, the Akali Government had promised a sum of Rs. 3 crores to remove the anomalies in teachers' pay-scales, but in the budget I searched for it; there is no provision made. Mr. Ganesh would be able to tell us whether there is any provision for that.

Then there is the question of granting interim relief to the non-gazetted officers—the NGOs—ordinary employees of the Government. There also, I do not see any provision in the budget. Then, another issue which very much hampers Punjab's development is the acute power shortage. Due to this power shortage, Punjab is going to be hit in the field of economy, in the field of generation of basic wealth. We know many times that the Irrigation and power Minister of the Punjab Government had made serveral representations that "you shut down Nangal fertliser for part of the year and the surplus power should be diverted to Punjab." Also, in the cities and areas where the same source supplies power, can't you go in for a cut of unnessessary things, luxury items? For example, you can go in for a partial closure of cinema shows, a partial closure of the air-conditioned machinery and such items like fountains that are electrically operated in Delhi. You want to run fountains here; air-conditioned cinemas here, and bring the industry and the economy to a standstill. You want the Punjab farmer to suffer for lack of power, where you have billions of tonnes of wheat lying on the field which cannot be threshed. You cannot give them power. They have been begging of you, "Close this fertiliser plant at Nangal for a part of the year; close the air-conditioned machines; close the cinemas for a part of day and divert the power". But the Central Government is least interested in such things. So, the Punjab farmers are suffering. On this matter I hope Mr. Ganesh will tell us what they are willing to do.

We see again a big figure for police, as usual. We want an explanation from Mr. Genesh why it is that instead of making a provision for removing the anomalies in teachers' pay and bringing some sort of satisfaction in the minds of the NGOs, Government has preferred to keep the figure for police as high as it is shown in the budget.

I hope the Minister will reply to all these points.

16 hrs.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैडम चेयरमैन, यह पंजाब का बजट यहां पर क्यों आया है ? उसकी वजह यह है कि वहां सरकार नहीं रही और राष्ट्रपति साहब का वहां पर राज्य हो गया। हमारा किसी से कोई भी इख्तिलाफ क्यों न हो, लेकिन यह सही है कि जो सरकार वहां खत्म हुई वह निहायत करप्ट सरकार थी। इसके इंस्टांसेज दूं तो मुझे वक्त नहीं उतना। एक ही बात कहता हूं कि तबादलों में पैसे लिये जाते थे। किसी कर्मचारी का तबादला करना हो तो कहते थे कि पैसे दो। शेड्यूल बना हुआ था कि 500 रु० से लेकर 5,000 रु० तक लेना है। यह थे उस सरकार के कारनामें। माननीय ज्योतिर्मय बसु साहब कह रहे थे कि श्री दरबारा सिंह और श्री स्वर्ण सिंह में लड़ाई थी इसलिये ऐसा हुआ। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हम आपके दोस्त को जानते है जिसने आपको ब्रीफ किया है। आप मुझसे ज्यादा पंजाब को नहीं जान सकते। 35 साल से पंजाब को देखा है, और यह भी देखा है कि कैसी कैसी पार्टियां दो, दो नम्बर में आती रही हैं। पंजाब की हालत बहुत बुरी है। वहां जितना कत्लोगारत है उतना शायद ही कहीं होगा। 302 का केस दफा 307 में कनवर्त किया जाता था। जेल में आने के बाद लोगों को रिहा किया जाता है। बाजार में कोई बहू बेटी चल नहीं सकती। कजाकों की तरह हमला किया जाता था।

अकालियों की सरकार फ्यूडल सरकार थी। जो फ्यूडल होता है वह कम्युनल जरूर होता है, इसमें दो रायें नहीं हैं। यह ठीक है कि हमने बहुत तेजी से काम नहीं किया। लेकिन अब करना चाहते हैं। भारत सरकार के पास मामला आया है। इन फ्यूडल्स से जिन के पास 3,200 एकड़ जमीन है, सबको खींच लेना चाहिये और बाग़ात और दूसरे नामों पर जो बड़ी बड़ी जमीनें दबाये बैठे हैं, उसको उन लोगों से खींच कर ऐसे लोगों में बांटनी चाहिये जिनके पास जमीन नहीं है।

अकाली पार्टी के साथ माननीय ज्योतिर्मय बसु की पार्टी रही है। फ्यूडल्स और कम्युनल्स से मिल कर यह कहते थे कि 30 एकड़ से ऊपर हद नहीं लगायें। मैं बता सकता हूं कि कहां कहां पर इन्होंने उनकी मदद की है। माननीय ज्योतिर्मय बसु की पार्टी बड़े मैगनीफाइंग ग्लास से भी मुश्किल से दिखाई देगी। आप वहां अकालियों से मिल कर रहें और फिर कहें कि हम सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ये दोनों बातें जुड़ती नहीं हैं। आप अपने आशियाने को दुरुस्त कीजिये। आपका जो परिन्दा है वह उड़ता है और उसके लैंप में बैठ जाता है जो कम्युनल है।

इस बजट की लोगों ने खुशी मनायी कि अच्छा हुआ करप्ट सरकार पंजाब की खत्म हुई। जितनी बीमारी सेक्रेटेरियट से ले कर नीचे तक जाती थी वह खत्म हुई। अब तो पटवारी भी कहता है कि मैं तो बाएतबार बन गया हूं, आप मुझ पर जो इल्जाम लगाते हो वह तो सेक्रेटेरियट में बैठ कर वजीर साहब करते हैं, मुझे छोड़ दो। अब करप्शन नीचे से हट कर सेक्रेटेरियट में चला गया है। लोग खुश हैं कि ऐसी सरकार चली गयी जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह भी हुआ वह गवर्नर के शाने शाया नहीं था। मैं मानता हू कि दूसरी पार्टी थी उसको बुला लेते।

जो बजट हमारे सामने आया है यह उस सरकार का है जिसकी मैंने अभी बहुत तारीफ की है। बजट में जेल पर खर्चा कम किया है। ठीक है। खर्चा इसलिये कम हुआ कि किसी को पकड़ना ही नहीं। मुल्जिम को वैसे ही छोड़ देना है। किसी ने किसी की बहू बेटी पर हाथ डाला तो जाने दो। गरीब हरिजन पर हाथ डाला तो कहा कि हरिजन है। उसको

[श्री दरबारा सिंह]

आदमी में शुमार नहीं किया जाता है । तो जेल पर खर्चा अपने आप ही कम होगा ।

ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन के बारे में आप पंजाब में पूछिये । छोड़िये सेक्रेटेरियट के लोगों को, आम आदमी की सांस रुकी हुई थी । सेक्रेटेरियट के लोगों से पूछिये, चीफ सेक्रेटरी हैं या और सेक्रटरीज है, उनसे पूछिये, तो तखलिया में यही कहेंगे कि अच्छा हुआ हमारे गले से उतरी । मैंने जैसा कहा जेल पर खर्चा कम है, इसलिये कम है कि किसी को पकड़ते ही नहीं । फिर कहते हैं कि हमने जेल में लोगों को कम बन्द किया है ।

ऐजूकेशन की बात लीजिये । टीचर्स का एक मूवमेंट चला, उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगा, मिली उनको जेल और हजारों के तबादले कर दिये । यह तो मोहम्मद तुगलक निकले जिसने ट्रांसफर आफ कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह किया था । नतीजा यह है कि किसी टीचर को यह पता नहीं है कि उसकी पोस्टिंग किस जगह पर है । इंटरिम रिलीफ का यह बदला दिया । 4 करोड़ 29 लाख का डेफिसिट दिखाया है और कहा है कि यह रिक्वरेबिल है, और हम दे सकते हैं और जो भारत सरकार से पैसा मिलेगा उसको मिला-कर हम इसको पूरा कर सकते है और इससे ज्यादा पैसे की बचत होगी । मुझे टीचर्स मिले हैं, एक गांव में गया उनसे पूछा कि आप यहां क्यों बैठे हैं, ताश खेल रहे थे । उन्होंने कहा कि इस जगह पर भेजे गये थे, लेकिन अब आर्डर आया है कि फर्दर आर्डर आपको चार, पांच दिन में आयेगा ।

अकाली सरकार की काबलियत भी सुन लीजिये, आप मजाक न समझिये, एक जगह एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देखो मैंने आपके लड़के का फर्नीचर खराब नहीं किया । उसने पूछा बताओ तो सही फर्नीचर अच्छा है । उसके सेक्रेटरी को पूछा कि आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं ? उसने बताया कि मिनिस्टर साहब का मतलब कहने का यह है कि आपके लड़के का फ्यूचर खराब नहीं किया । अब फ्यूचर को फर्नीचर कहने वाले से आप क्या तवक्को करते हैं कि वह सरकार चला सकेंगे । जो उनकी मदद करने वाले हैं यह हैं उनके किरदार । जो उन्हें खिलाता है उसका काम करते हैं और दूसरे का काम नहीं करते ।

ऐग्रीकल्चर की बात लीजिये । इन फ्यूडल लोगों का ख्याल था कि जमीन की हदबन्दी पूरे तौर पर नहीं लगा सकते । हदबन्दी की लिमिट 30 एकड़ न रख कर 100 एकड़ करनी चाहिये । मै चाहूंगा कि चूंकि अब मरकजी हुकूमत के हाथ में वहां का शासन आ गया है इसलिये वहा हदबन्दी लागू करायी जाय और जिनके पास फालतू जमीन है उसको इस ढंग से इस्तेमाल किया जाय कि जो बेजमीन है, मुजारा है उनको वह जमीन दी जाय । वहा पर लैंड रिफार्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और वह आपको करना पड़ेगा । आप लोग देखिये कि यह कितनी डिमाक्रेसी में यकीन रखते हैं । उन्होंने पंचायत राज के थ्री टायर सिस्टम को तोड़ दिया और कहा कि हम इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं । वह थ्री टायर सिस्टम नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके लिये खराब था । डिसेंट्रालाइजेशन के बजाय उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया ।

अब हरिजनों का जो मामला है वह बहुत गम्भीर सवाल है । अगर पिछले एलेक्शनों मे कोई भी अकाली पार्टी का हरिजन चुन कर आया तो वह धक्के से आया, वह चुन कर नहीं आया । और, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि वह मेरा मामला नहीं है । लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वहां क्या हो रहा है । वहां तेरह सीटों में से सिर्फ एक आदमी आया क्योंकि उनको पसिख करना

था। चूंकि हरिजनों से कांग्रेस को वोट दिया है इसलिये उनको धक्के से पीछे रखना है। क्या किया? सैकड़ों गांवों में उनकी नाकाबन्दी की गई, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया और कहा कि चूंकि तुमने कांग्रेस को वोट दिया है इसलिये तुमको यहां रखेंगे। आज वहां पर उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हमने उसका मुकाबला किया है, इसमें कोई शक नहीं। हम नहीं चाहते थे कि वह लोग इस तरह से बेजार होकर दिल छोटा करें। हमने उनकी मदद की, लेकिन वाकयात यह हैं कि जिन लोगों के हाथों में ला ऐंड आर्डर था उन्होंने एस पीज को, थानेदारों को उनकी जगहों से तब्दील किया, डी सीज को तब्दील किया, इसलिये कि वह गरीबों को मदद करते थे, कहते थे कि उनको धक्का नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को तब्दील किया गया, फिर आज वह कहते है कि हम उनके लिये धर्मशाला बनाते हैं। धर्म तो पता नहीं है उनके पास या नहीं लेकिन धर्म न हो तो बाकी क्या रह जाता है? धर्म को छोड़कर बाकी बनाते होंगे। धर्मशाला से धर्म को अलग कर दिया, बाकी चीज वह लोग बनाते रहते है।

इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसी बातें की गई हैं। आज लोगों पर अत्याचार किये गये है, उनको धक्का दिया गया है, उनको स्लैश किया गया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। इसमें उनका क्या कसूर था? वह समझते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को पनपने देना है, अगर उसको जिन्दा रखना है तो जो कुछ जमातें हैं उनको मदद करनी चाहिये। जिनका अपना ख्याल ऐसा नहीं था, उन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं।

मैं कहता हूं कि निकासी की जमीन, जो रिहैबिलिटेशन की जमीनें थीं, उनको तो छोड़िये, सतलज नदी पर डेढ़ करोड़ रुपये लगा कर बांध बनाया गया, उस में से लाखों एकड़ जमीन निकली, वह सारी की सारी हरिजनों के लिये थी, लेकिन उसको उनसे खींच कर बड़े बड़े सरमायेदारों को, बड़े बड़े जमींदारों को दे दिया गया। उन लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। जिस पर मिनिस्टर का हाथ है उसका कब्जा रहता है। इससे आप देखिये कि हरिजनों के साथ कितना बदतरीन सलूक किया जा रहा है। जितनी हरिजनों की कोआपरेटिव सोसायटीज थीं वह तोड़ दी गई क्योंकि वह लोग जमीन पर काश्त करते वाले थे। वह मुजाहरे को वहां बसने नहीं देना चाहते थे, कोआपरेटिव सोसाइटी को रहने नहीं देना चाहते थे। जो दूसरे दोस्त हैं, हरिजन हैं, उनको बसने नहीं देना चाहते थे। ऐसी अवस्था वहां पर की हुई थी। आज हरिजन औरतों पर हमला हुआ, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। इस तरह की सरकार वहां चलती रही है।

इस बजट में इंडस्ट्रीज के लिये क्या रखा गया है क्या नहीं रक्खा गया है, अगर आप इस पर नजर डालें तो पता लगेगा कि कुछ नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि पंजाब में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। उन पर इस बजट का कोई असर हुआ हो या नहीं, लेकिन कोई हैवी इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं हैं। लेकिन उनको लाये कौन। वह तो और ही इंडस्ट्री चाहते थे। अकाली लोग इंडस्ट्री पर यकीन नहीं करते, वह तो बातों में यकीन करते हैं। वह कहते हैं कि पुराने राजे महाराजाओं का असर कायम रखना चाहिये, फ्यूडलिज्म कायम रहना चाहिए। वह इसके लिये जोर लगाते रहे और लोगों पर दबाव डालते रहे। उन्होंने दूसरी चीज चलने ही नहीं दी। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि यह एक बड़ा भारी मसला है और हमारी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वह लोग अपनी हिम्मत से लगाये हुए हैं। पाकिस्तान हिन्दुस्तान बनने के बाद जो लोग उधर से आये उन्होंने बहुत काम किया है। जब वह भी इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तब कहीं

[श्री दरबारा सिंह]
आकर यह सूबा, जिसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा।

अब तक जो भी मिनिस्ट्रीज आईं, अगर आप उनके कारनामें देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने इस दौरान अपनी सल्तनतें बनाई हैं। इतने अर्से में जो कुछ हुआ है उस पर एक एन्क्वायरी कमिशन बैठना चाहिये। यह लोग भी कहते रहे हैं कि हम एन्क्वायरी कमिशन बिठलायेंगे, लेकिन भाग गये। हम कहते हैं कि अगर कोई एन्क्वायरी कमिशन बिठलाया जाय तो हजारों केसेज ऐसे निकलेंगे जिन मे दीदा दिलेरी से पैसे लिये गये है, रिश्वतखोरी की गई है और इस पंजाब को बरबाद करने की कोशिश की गई है। इस की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

यहां इन लोगों ने क्या किया ? इनकी ग़दारी देख लो। जो जिला ऐसा था जिसकी -कैपिटा इनकम कम थी, उस के लिये कह ।दया कि ज्यादा है और जिस के जिले में ज्यादा थी उस के लिये कह दिया कि कम है। उनके अदाद शुमार करने वाले दूसरे लोग भी ऐसे ही होंगे।

उन लोगों के वजीर लोग दम दिला कर कहते रहे, बाजार में खड़े हो कर जो चाहा कहते रहे। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गाली निकालते रहे। वह इतनी गन्द निकालते हैं कि कोई सुन नहीं सकता, और फिर जा कर कहते हैं कि चूंकि तुमने कांग्रेस को वोट दिया है इस लिये हम यहा ट्यूबवेल नहीं लगायेंगे, यहां से ट्यूबवेल उठा कर वहां ले जायेंगे। मैं कहता हूं कि जितना रुपया हिन्द सरकार ने दिया है ड्रिंकिंग वाटर के लिये उस का एक पाई भी खर्च नहीं हुआ, आप जा कर देखिये। मैं होशियारपुर जिले की बात करता हूं। होशियारपुर जिले में जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर की स्कीमें थीं वह स्क्रैप कर दी गईं। एक जिले में 80 रिवरबेड्स है, उसकी भरती को खराब किया हुआ है, लेकिन एक पैसा भी वहां के लिए खर्च करने को तैयार नहीं हैं। खर्च कहां किया गया ? चीफ मिनिस्टर बादल के गांव में। बादल के गांव में सारे संसार की जो चीज चाहिये वह ले जाई जाती है। बादल तो हवा में होता है, उसको जमीन पर आना चाहिये। वह बादल गिरा है। अब बादल के ऊपर बिजली गिरी है, अब उसको पता चला है कि वह किस भाव पर है। मैं कहता हूं कि सरे मैदान में एलेक्शन कराइये फौरन। हम देखेंगे कि वह कहां खड़े हैं। अगर उनको वोट मिल जाये तो हमसे कहिये। सारे सूबे में लोग चीख पुकार कर रहे हैं, हरिजन दुखी हैं, दूसरे लोग दुखी हैं। हर जगह पुकार उठ रही है कि इम को चलता करो, इस सरकार को चलता करो। सरकार तो चली गई।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : सरदार गुरनाम सिंह अच्छे रहते ?

श्री दरबारा सिंह : सरदार गुरनाम सिंह अच्छे रहे हों या नही, मैं कहता हूं कि आप फिर आ जाइये, हमारे साथ रह कर काम कीजिये। हम इकट्ठे हो कर चलते हैं। फिर आप वही एक सूबा बना कर देखिये, वर्ना एक कोने में आप पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरी तरफ वह बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक साथ होकर हम पंजाब की एकानमी को दुरुस्त करेंगे। कोई एक दूसरे के लिये गाली निकालने वाले नहीं रहेंगे। साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। इस में कोई हर्ज की बात नहीं है। हम इलाकापरस्ती में आकर कोई दूसरी बात न करें।

मैं कहना चाहता हूं कि बजट में काफी कमी है। कमी इस लिहाज से है कि यह बजट बहुत जल्दी में सरकार ने इसलिये बनाया था कि हम टैक्स भी न लगायें, लोगों की तारीफ भी हासिल करें और यह भी कहें हमें जो काम करना है वह अपने अपने इलाकों में करना है,

अपने एम एल एज के यहां लगे रहते हैं। टोटल आउटले नहीं दी गई इसलिये कि सारे सूबे को क्यों पहुंच सके। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि पता नहीं यह सरकार थी या जमात थी। कोई सरकार नहीं चल रही थी, सिर्फ अकाली दल चल रहा था (**व्यवधान**)

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : सिर्फ सरदार ही थे ?

श्री दरबारा सिंह : सिर्फ सरदार ही नहीं, दूसरे भी थे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : पगड़ी का फर्क है।

श्री दरबारा सिंह : पगड़ी में भी फर्क है, दिल में भी फर्क हैं, प्रोग्रेसिवनेस और बैकवर्डनेस का फर्क है। मैं अर्ज कर रहा था कि अकाली पार्टी ने एक फैसला किया और जत्थेदारों ने इस सरकार को एक ढंग से चलाना चाहा। वह कैसे सूबे को डेवेलप करते ? जब सरकार जत्थेदारों के हाथ में है तो वह जत्थेदारों को डेवेलप करते या सूबे को डेवेलप करते ? उन्होंने फैसला किया कि हर डी सी को जत्थेदारों से पूछ कर काम करना चाहिये। वह बिल्कुल अनपढ़ है, उनको पता नहीं है कि डेवेलपमेंट क्या होता है। वह लट्ठ ले सकते हैं, अक्ल काम में नहीं ला सकते। अक्ल का काम लट्ठ से मुनासिबत नहीं खाता। टूर प्रोग्राम बनाने के बारे में भी हिदायतें जारी कर दी गईं। यह कह दिया गया कि जत्थेदारों के साथ मिल कर, उनकी सलाह लेकर टूर प्रोग्राम बनाये जायें, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है इसका फैसला उनसे पूछकर किया जाए। काम अगर करना है तो किस तरह से करना है, यह भी जत्थेदारों पर छोड़ दिया गया। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे उन से पूछकर काम होने लग गए थे। यह जो पुरानी लेगेसी पुरानी सरकार छोड़ गई है, यह खत्म होनी चाहिये। जो बजट है इसको जरा देखने की जरूरत है।

पावर शार्टेज की बात भी कही जाती है। हमारे सी पी एम के दोस्त ने भी इसका जिक्र किया है। एयरकंडिशनर सेक्रेटेरिएट में चलते रहे। मिनिस्टर्ज के घरों में चालू रहे लेकिन कहा जाता रहा कि पावर शार्टेज है। जहां ये चालू थे वहां बन्द नहीं हुए। बन्द क्या किया इस पावर शार्टेज को देखते हुए, पता नहीं है। जब जैनरेटर्ज के बारे में कहा गया तो बताया गया कि अभी आर्डर गया हुआ है, आए नहीं हैं और कब आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं लगता था कि कब और कहां बिजली को चालू करेंगे। लोगों को कहा गया कि हिन्द सरकार बिजली नहीं देती है। अनपढ़ लोग थे और वे उनकी बातों में आ जाते थे।

सैक्रेटेरिएट में बिना रोक टोक शक्ल देख कर फैसले होते थे। कर्मचारियों के बारे में भी यही होता था। जब कोई फैसला किया जाता था तो देखा जाता था कि यह कांग्रेसी है, गैर कांग्रेसी है, सिख है या गैर सिख है। यही बात प्रोमोशंज में भी होती थी। कहां वहां डैमोक्रेसी थी और कहां सैक्युलरिज्म था ? (**इंटरप्शंज**) एक ऐसे आदमी को भी उन्होंने ले रखा था जिसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वह इसलिए ताकि यह दिखाया जा सके कि हम सैक्युलर हैं। फर्निचर और फ्यूचर में जो भेद नहीं समझ सकते थे, उनको ले रखा था। मेरे पास बहुत मैटेरियल है लेकिन मैं ज्यादा डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूं। एक अर्ज जरूर करना चाहता हूं। बजट को रिशेप देने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत है कि गरीबों पर ज्यादा इसका बोझ न पड़े। ज्यादा खराबी पैदा न हो। निकासी के बाद जो जमीन पड़ी हुई थी उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, फ्यूडल एलीमेंट्स हैं। वे किसी को नजदीक आने नहीं देते हैं और इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई नजदीक न आने पाए। सरकारी कर्मचारी भी कुछ ऐसे हैं जो इस बात में यकीन रखते हैं कि गरीबों का गला घोंटा जाए। ऐसे लोगों से हमें छुटकारा पाना चाहिये।

[श्री दरबारा सिंह]

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आशा करता हूं कि जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और दूर करके इस बजट को चालू करने की कोशिश की जाएगी।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : अच्छा तो यह होता कि पंजाब बजट पंजाब विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता। लेकिन जो परिस्थितियां वहां विद्यमान थी और जो कारण थे उनसे विवश होकर राज्यपाल पावटे को विधान सभा को भंग करना पड़ा, उसके लिए मैं उनके काम का अभिनन्दन करता हूं। इस वास्ते भी उनके कदम का मै अभिनन्दन करता हूं कि दल बदल की भावना के ऊपर उन्होंने कड़े कदम उठाये हैं और इस प्रवृत्ति पर एक तीखा प्रहार किया है। इस वास्ते भी मै उनके कदम का अभिनन्दन करता हू कि सरदार गुरनाम सिंह जोकि दल बदलुओं के सरदार है, उनकी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ है। अभिनन्दन इसलिए भी करता हू कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के सचिव द्वारा पंजाब मे बैठकर दल बदल की प्रक्रिया को तेज करने से पहले ही उनकी आशाओं पर तुषारापात करने का सफल प्रयास राज्यपाल महोदय ने किया है।

राज्यपाल के कदम के बाद कांग्रेस दल के लोगों ने जिस प्रकार की भावनाओं को प्रकट किया है, जिस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं वे भी आप के सामने हैं। राज्यपाल महोदय ने जो ठोस कदम उठाया है, समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है, कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने तथा उसके नेताओं ने राज्यपाल पावटे के कदम का विरोध किया है और यहा तक कह दिया है कि राज्यपाल पावटे को उनके पद से हटा दिया जाए। मैं सत्तारूढ़ दल के नुमाइंदों से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस बात को न भूलें कि 1970 के अन्त में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो वास्तव में उस समय अल्पमत में थीं, लोक सभा को भंग करने की राष्ट्रपति जी से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और लोक सभा भंग करवा दिया था। क्या उस समय सत्तारूढ़ दल के किसी भी सदस्य ने उनके इस कदम का विरोध किया था ?

सत्तारूढ़ कांग्रेस के माननीय सदस्यों के मुंह से जब दल बदल की बात होती है तब उसको सुनकर मुझे और भी आश्चर्य होता है। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में लैजिस्लेशन लाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि उसको हम लाने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। मै समझता हू कि सत्तारूढ़ दल ने जिस प्रकार संयुक्त सरकारो को गिराने का प्रयत्न अन्य प्रान्तों में किया है, जब तक उस प्रक्रिया को समाप्त नही कर दिया जाता है तब तक वे दम नही लेंगे और तब तक कोई विधेयक नही लाएंगे, लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी भी एक प्रान्त बाकी है और वह उड़ीसा है। अब इनके कदम उड़ीसा की ओर बढ़ रहे हैं। वहा इनके दल की सरकार नहीं है। किसी न किसी प्रकार से, नोटों की थैली खोल कर, पैसे के बल पर, भावनाओं को भड़का कर, पैसे के बल पर खरीद बिक्री करके जब तक वहां की संयुक्त मोर्चे की सरकार को ये गिरा नहीं लेंगे तब तक सत्तारूढ़ या नई कांग्रेस के लोग कोई भी विधेयक इस सदन में दल बदल पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पक्का निश्चित मत है।

संसद् में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों के ऊपर, जिसको हम लोग डिसक्रीशनरी पावर्ज कहते हैं, काफी चर्चा हुई है। आवश्यकता इस बात की थी कि केन्द्रीय सरकार राज्यपालों के अधिकारों के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेती। लेकिन अभी तक राज्यपालों के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में

उसने कोई डायरेक्टिव जारी नहीं किये हैं या कोई निर्णय नहीं लिया है। जब इनके पक्ष में कोई बात हो जाती हैं तब तो ये कहते हैं कि राज्यपालों के जो अधिकार हैं या उन्होंने जो निर्णय लिया है वह जायज है, ठीक निर्णय लिया है लेकिन जब वह निर्णय इनके विपक्ष में चला जाता है तब ये कहने लग जाते हैं कि राज्य पालों के जो अधिकार हैं, विवेकाधीन अधिकार हैं, डिसक्रीशनरी पावर्ज हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, प्रहार होना चाहिये।

इस सबको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त सरकारों को गिराने का सत्तारूढ़ दल ने जो प्रयास किया है, वह निन्दनीय है। इस वास्ते अगर आप स्वच्छ हृदय से चाहते है कि दल बदल की प्रवृत्ति समाप्त हो तो आप एक विधेयक इसी सत्र में लाने की चेष्टा करें।

पंजाब सीमावर्ती प्रान्त है। जरूरत इस बात की थी कि वहां पर सिखों और गैर सिखों में जो भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाता। हिन्दू हों या सिख या हरिजन सभी पंजाबी बन कर रहें। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने पंजाब में सिखो और गैर सिखों के बीच में भयंकर खाई उत्पन्न की है। कभी कभी तो ये लोग उनकी भावनाओं को अपनी ओर मोड़ने के लिये सिखो और गैर सिखों में झगड़ा तक भी करा देते हैं। वहां पर पहले संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी साझीदार था। सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हिन्दी के प्रश्न को लेकर अकाली दल के विधायकों के अन्तःकरण में फिर से सिख और गैर-सिख की भावनायें भड़काकर पंजाब में जो माहौल पैदा किया, वह किसी से छिपा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब में दल-बदल की प्रक्रिया को समाप्त करके एक सशक्त और लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाये और वहां पर वास्तव में एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाये। उसी से पंजाब का कल्याण होगा।

आज पंजाब और हरियाणा का किसान रो रहा है। पाकिस्तान के साथ 1960 से 1970 तक का जो नहरी पानी समझौता हुआ था, वह 1 अप्रैल, 1970 को समाप्त हो गया। मैं श्री दरबारा सिंह से पूछना चाहता हूं कि जब केन्द्र की कांग्रेसी सरकार को यह मालूम था कि 1 अप्रैल, 1970 तक पाकिस्तान को रावी, सतलुज और ब्यास का पानी देना बन्द कर दिया जायेगा, तो इन दस वर्षों में उसने उन नदियों के पानी को पंजाब और हरियाणा के खेतों तक पहुंचाने के लिये कोई नवीन योजना तैयार करने का साहस क्यों नहीं दिखाया। कुछ दिनों पहले जब इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, तो सिंचाई और विद्युत मंत्री, डा० के० एल०- राव, ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है।

वास्तव में सरकार ने इन दस वर्षों में कोई योजना नहीं बनाई। वह भूल गई कि 1 अप्रैल, 1970 को करार के समाप्त होने पर हमें उन नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों में पहुंचाना है। यह बात स्वीकार न करके डा० के० एल० राव ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि नहरी जल समझौते के समाप्त होने के बाद भी जो पानी बह कर पाकिस्तान में जा रहा है, उसको इस देश के खेतों में पहुंचाने के लिये इस बजट में विशेष रूप में प्रावधान किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अभी सदन के वरिष्ठ सदस्य, श्री दरबारा सिंह, ने कहा कि पंजाब में हरिजनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह यह भेदभाव या डिमार्केशन क्यों करते हैं। वास्तव में अकाली दल ने

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

पहले चुनाव के समय और संयुक्त मोर्चा बनने के अवसर पर बनाये गये प्रोग्राम की अवहेलना की और पंजाब की आम जनता के साथ विश्वासघात किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब की आम जनता के साथ अकाली दल के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। लेकिन माननीय सदस्य ने हरिजनों का नाम लेकर हरिजनों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है और इस प्रकार वह पंजाब के आगामी चुनावों में इससे लाभ उठाना चाहते हैं।

लेकिन मैं श्री दरबारा सिंह को बताना चाहता हूं कि उनके दल के पास जो जादू की छड़ी थी, वह अब मड़ चुकी है। अब उसके समाजवाद से हिन्दुस्तान की तमाम जनता परिचित हो चुकी है। अगर माननीय सदस्य सोचते हैं कि हरिजनों के नाम पर, या "गरीबी हटाओ" के नाम पर उनके दल को पंजाब में बहुमत मिल जायेगा, तो वह तथ्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी भेदभाव-मूलक बातें न कही जायें कि पंजाब में हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री तेजा सिंह स्वतंत्र (संगरूर) : चेयरमैन महोदया, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का स्वागत करता हूं कि पंजाब में एक फ्यूडल, कम्युनल, रीएक्शनरी, रिप्रेसिव और लोगों को दबाने वाली गवर्नमेंट का अन्त हुआ है। अब लोगों ने खुशी से सांस लेना शुरू किया है, लोगों का डर कम हुआ है। पहले लोगों को खासकर हरिजनों को—नींद नहीं आती थी, लेकिन अब वे चैन से सोने लगे हैं।

अभी मेरे एक भाई ने कहा कि हरिजनों का नाम न लिया जाये। लेकिन हमें पंजाब में हमेशा यह बताया जाता है कि फलां गांव में हरिजनों पर जुल्म हुआ है और फलां गांव में हरिजनों का नाका बन्द कर रखा है। ये सिर्फ चुनाव के दिनों के वाकयात नहीं हैं, ये अब के वाकयात हैं—अब भी यही हो रहा है। जिसका जी चाहे, वह जाकर देख सकता है। दूसरों को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हरिजन बेचारों को जबरन उठाया जाता है, उनका नाका बन्द किया जाता है, उनको बाहर टट्टी नहीं जाने दिया जाता है। इस लिये उनका नाम लेना पड़ता है। हम उनका नाम न भी लें, लेकिन यह एक हकीकत है कि वहां पर गरीब जनता, या शिड्यूल्ड कास्ट्स, या दलित जातियों के साथ ज्यादती हो रही है।

यह भली-भांति समझने की जरूरत है कि इस गवर्नमेन्ट का सियासी कैरेक्टर क्या था, उसका राजनैनिक किरदार क्या था। वह पंजाब भर की गवर्नमेंट थी, लेकिन पंजाब के लिये उसकी क्या सियासत थी? वह एक सियासत-हीन पार्टी थी, राजनीति के बगैर पार्टी थी। हिन्दुस्तान भर में वह पार्टी क्या करके दिखायेगी, हिन्दुस्तान भर में कौम को उठाने का जो संघर्ष चल रहा है, कई रिएक्शनरी दकियानूसी ताकतें हिन्दुस्तान को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, हिन्दुस्तान भर के पैमाने पर देश को ऊपर उठाने के लिये और उसके विरुद्ध जो संघर्ष चल रहे हैं, उसमें उस पार्टी का क्या रोल होगा? न हिन्दुस्तान के मुताल्लिक उसके पास कोई सियासत है और न पंजाब के लिये कोई सियासत है। इसलिये उस पार्टी का सबसे बड़ा किरदार यह था कि वह एक सियासत-हीन पार्टी थी।

इसीलिये उन लोगों को यह पहचान नहीं है कि कैसे आदमियों को चुनाव में खड़ा करना है और लोगों को क्या कहना है। इस दफा उन्होंने चुनाव बगैर किसी प्लेटफार्म के लड़ा। उनका कोई चुनाव का प्लेटफार्म या मैनिफेस्टो नहीं था। हमने उनसे पूछा कि

अगर तुम्हारी गवर्नमेंट बन गई, तो तुम लोगों को क्या दोगे । उन्होंने कहा कि पहले हम जीत जायें, फिर हम बताएंगे कि हम जनता को क्या देंगे, प्रोग्राम हमारे जीतने के बाद बन जायेगा । असल में उनका प्रोग्राम था लूट । इसलिये वे इस प्रोग्राम को चुनाव से पहले कैसे बता सकते थे ?

अंग्रेजों के दौर में भी जिनको लोगों ने धुत्कारा था, जो दो, तीन, सात, दस, तेरह हजार के लैंडलार्ड हैं, जो पंजाब के जागीरदार हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये कोई कुर्बानी नहीं की, जिन लोगों के दिलों में सपने में भी गरीब लोगों के लिये दर्द नहीं रहा है, ऐसे तमाम लोगों को अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा करके उन्होंने गरीबों को लूटने के लिये एक जागीरदाराना, फ्यूडलिस्टिक और बड़े बड़े सरदारों की हुकूमत कायम की ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महाराजा पटियाला को किसने राजदूत बनाया ।

श्री तेजा सिंह स्वतंत्र : हमने नहीं बनाया देखना यह है कि महाराजा पटियाला का उसके इलाके में कचूमर किसने निकाला ? महाराजा पटियाला का, उसकी कुल औलाद का, उसकी महारानी का, उसके लड़कों का किसने वहां पूरी तरह रगड़ा बनाया, यह देखने की बात है ।

तो इसका नतीजा वही निकलना था कि वहां लूट पड़ गई । लूटने के लिए गये थे । अगर किसी के पास थोड़ी सी जमीन है उसको भी कहा बढ़ाना चाहिये । उसमें भी लग गए । किसी को साथ में लेना है तो उसको जमीन भी देंगे । और कुछ देने एलेक्शन तो जीत गए कम्युनल पंथ का नारा लगाकर लेकिन पंथ की क्या सियासत है, क्या प्रोग्राम है ? पंथ में जो लाखों किसान हैं, लाखों हरिजन भी हैं, लाखों और किस्म के लोग भी हैं जो काम करके खाते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम क्या सियासत है ? केवल पंथ का नारा लगाकर, गुरुद्वारों की शक्ति, गुरुद्वारों की जो डेढ़ करोड़ के करीब आमदनी है उसको शक्ति लगाकर, उसके सहारे जीत गए । लेकिन मैं शुक्र करता हूं कि पिछले आम चुनाव में यह कई उतर गई । जैसे याहिया खां का इस्लाम नंगा हो गया ऐसे ही अकालियों का पंथ का नारा भी नंगा हो गया । ...(व्यवधान)... यह जागीरदारों की गवर्नमेंट थी । अब क्या हुआ ? अब लूट का झगड़ा पड़ा । लोग कहते हैं कि थैलियां जाती है, जाती होंगी । करप्ट किए जाते हैं, किए जाते होंगे । यह तो है । लेकिन इस केस में क्या चीज है ? यह अकाली वजारत कैसे गिरी है । किसी ने इसकी गर्दन पकड़कर उतारा नहीं । किसी ने इसके बाजू पकड़ कर खींचे नहीं । यह अपनी बीमारी में आप मुबतिला थे । आप गिरे हकीकत यह है कि यह लोग अपनी अन्दरूनी लूट में किसको कितना हिस्सा मिले इसके शिकार हुए । इसके लिए एक दूसरे को इन्होंने गिराया और गिरे हैं तो हम शुक्र करते हैं । और इसके बाद एक दूसरा वर्ग भी सामने नहीं आ पाया, इसका भी हम शुक्र मनाते हैं नहीं तो दूसरा वर्ग सामने आ जाता । इसलिए यह जो दोनों बातें हैं असेम्बली का डिजाल्व करना और वजारत को खत्म करना यह पंजाब में प्रोग्रेसिव वर्ग की जीत के बाद, पार्लियामेंट की जीत के बाद एक बड़ा वाकिया है जो पंजाब को आगे ले जायगा । जनता जागी हुई है ।

अब जो कुछ इन दिनों में हुआ उस के मुताल्लिक दो चार मिनट मैं लूंगा । सबसे पहली बात इन दिनों में जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वह यह है कि अब वहां गवर्नर का राज हो गया, पार्लियामेंट के सामने बजट पेश है । यह जो हकीकत है, जहां यह खुशी की बात है वहां मैं यह कहूंगा कि रूलिंग कांग्रेस के लिए यह उतनी ही बड़ी एक भयानक बात भी है अगर इसका इन्होंने ख्याल नहीं रखा तो, क्यों

[श्री तेजा सिंह स्वतंत्र]

कि अकालियों के समय की वह बात तो अब चली गई । अब वह लोगों के पास आएंगे तो क्या दिखाएंगे ? लोगों ने काफी कुछ देख लिया और वह अपनी उस लड़ाई में गिर गए । अब 6 महीने के लिए या दस महीने के लिए जब तक रूलिंग कांग्रेस के हाथ में सारी शक्ति है, जब कि पालियामेंट को उसके लिए लाज बनाने हैं तो कांग्रेस वर्ग पर यह मजबूरी, यह फर्ज आ जाता है कि वह जो रही हुई चीजें हैं, जो अकालियों ने गलत काम किए हैं, जो अभी मैं गिनकर बताऊंगा, उनको वह दुरुस्त करें और अपने इस मौके से फायदा उठाकर अगले आठ महीने में अपनी साख बना कर कर दिखाएं । अगर यह चीजें ऐसी ही चलती रहीं जैसे कि पिछली हुकूमत में चल रही थीं यानी अब भी हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ, बिरला की लिस्ट कैंसिल नहीं हुई, जितनी जमीन पड़ी हुई है 1 लाख 78 हजार एकड़ निकास की जमीन और 11 लाख एकड़ के करीब बजर दरियाव के किनारे की जमीन उसमें अगर हरिजनो को घर के लिए भी जमीन न मिले , दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को घर के लिए भी जमीन न मिले और जो खेती पेशा लोग हैं उनको न मिले, अगर वैसे ही चलता रहा जैसे अकालियों के समय में चल रहा था तो अब अकाली तो इससे बच जाएंगे और यह सब बीमारी आप के सिर पर आएगी क्योंकि जनता जाग चुकी है । इसलिए कांग्रेस हुकूमत को गवर्नर के जरिए यह जो खामियां हैं एक स्कीम के अन्तर्गत इनको दूर कर के बता देना चाहिए ताकि घर घर में यह बात हो कि जो पहले अपराधी गवर्नमेंट थी वह तो गिर गई, उसकी जगह जिनके हाथ में अब बागडोर आई है उन्होंने क्या करके दिखाया । यह भी लोग देखेंगे । यही नहीं कि अकालियों की बातों को ही देखेंगे । इसलिए यहां से शुरू करके हमें यह दिखाना है । आज बहुत से काम हमारे उसी तरह अधूरे हैं । गांव गांव में, छोटे छोटे कस्बों में हमने देखा है कि बहुत सी शेड्यूल्ड कास्ट की बस्तियां कितनी गन्दी जगह में बसी हुई हैं । उनके लिए जगह नहीं है । क्या क्या जुल्म इनके साथ हुए हैं ? इसको दूर करना जरूरी है । अब वह अकाली गए । अब हम लोगों को करना होगा । तभी हम आगे बढ़ सकेंगे ।

अकाली गवर्नमेंट को गिराने में एक बड़ी भारी शक्ति आपको पता होगा और थी । वह कौन सी शक्ति थी जो इनके विरुद्ध गई जिसका कि इन्होंने गला घोंटा ? जैसाकि अभी दरबारासिंह जी कह चुके हैं वह गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, मास्टर थे जिनको हक था, उन्होंने अपना कांसेंस इस्तेमाल किया, अपने पावों पर खड़े रहे । अकालियों की गवर्नमेंट की तरफ से उनको दबाया गया, कहा गया, उनको लालच भी दी गई । लेकिन अब की दफे उन्होंने लालच में पड़कर वोट नही दिया । अकाली गवर्नमेंट ने कहा उनसे कि आप लोग अब इसका मजा चखेंगे । इस पार्लियामेंट्री एलेक्शन के बाद मजा चखाना शुरू कर दिया । इंटेरिम रिलीफ की मांग उन्होंने की । उसमें कितने मुअत्तिल हुए, कितनों को कहां ठूंसा गया, कुछ देने के बजाय यह सजा उनको दी गई । बेमतलब इधर उधर दूर दूर उनके तबादले किए गए । यह भी नहीं देखा गया कि जहां तबादला कर रहे हैं वहां कोई जगह भी है या नहीं ? कहां वहां जाकर पता लगेगा । ऐसे बेतहाशा, बेमतलब, जिसका कोई मतलब नहीं ऐसे तबादले किए गए और फिर उन्होंने देखा कि कुछ बड़े अफसरों ने भी कनाइव किया होगा, उनका भी कुछ हाथ होगा तो एक तरफ से की सीज को भी इधर उधर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया । लेकिन अब तो वह चले गए, वह गवर्नमेंट मर गई, लेकिन वह मुर्दे जाते जाते जो कुछ कर गये उस पर यह गवर्नर अब क्यों अमल कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है । इसलिए पहला कदम जो उठाना चाहिए अगर आप यह बताना चाहते हैं कि वह गवर्नमेंट चली गई तो सबसे पहला

काम यह है कि हम इस बजट में इंटैरिम रिलीफ दें और जो उनके नाजायज तबादले हैं उनको नलिफाई कर दें। आप गवर्नर को यह हिदायत करें कि जो पहले आर्डर्स हुए हैं उनके मुताबिक किसी मुलाजिम के भी तबादले न किए जायें। पिछले आर्डर को कैंसिल कर दिया जाये और नये सिरे से जो कुछ करना हो उसके लिए कदम उठाए जायें। यह दो बड़े कारनामें हैं अगर हम कर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा असर होगा। तीसरी चीज है हरिजनों के मुतालिक। कर्जों का मसला है, दूसरे कई मसले हैं छोटे छोटे जो हमारे पास लिखे पड़े हैं। उसके लिए गवर्नर के पास हम पूरी तरह से दबाव डालेंगे कि वह इन कदमों को उठाएं और पंजाब की जनता को बताएं, उसको यह एहसास कराएं कि यह वह गवर्नमेंट नही है, डरने की जरूरत नही है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नही है। रिश्वत पंजाब में एक नीगन टेंडर हो गया था। खुले आम रिश्वत ली जाती रही है। कहते हैं लूट पड़े तो लूटे ना सो भी नामाकूल। अगर लूट मची हो और कोई लूट न रहा हो तो उसको कहेंगे। वह नामाकल है। कही रिश्वत ली जा रही है, लूट पड़ी है और कोई रिश्वत नही लेता। तो वे कहेंगे कि उल्लू तुम क्यो खड़े हो? तो पंजाब में इसका दौर दौरा चल रहा था। जो रिश्वत नहीं लेता उसको कही दूसरी जगह तब्दील कर दिया जाता। इसलिए सबसे पहले इसका खात्मा किया जाये। साथ ही मुलाजमीन को एन्टैरिम रिलीफ दी जाये और जो तब्दीलियां की गई हैं उनको यहा से नलीफाई किया जाये। जो गरीब हरिजन और किसान हैं, उनके मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की जावे।

इसके साथ साथ और बहुत सी बातें भी है छोटी इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक, इरीगेशन के मुताल्लिक, ट्रैक्टर्स के ब्लैक के मुताल्लिक वगैरह वगैरह बहुत से मसले हैं एक एक करके जिनके बारे में यहां से अपने एडवाइजर्स के जरिए से गवर्नर को कहा जाये कि अब आगे से गवर्नमेंट इस तरह से चलेगी और यह जो गलत काम वहां पर किए गए हैं उनको अनडू करना है। देश की भलाई इस रास्ते पर है इस लिए सूबे को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाना है, पंजाब के मजदूर किसान और दूसरी गरीब जनता की भलाई की तरफ ध्यान जाना चाहिए किसी धर्म की बिना पर नहीं बल्कि सेक्यूलर पालिसी को लेकर वहां के लोगों की भलाई के कामो की तरफ अगर ध्यान दिया जाता है तब तो ठीक है वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्री सत पाल कपूर (पटियाला) : मैडम चेयरमैन, अभी हमारे साथी तेजासिंह जी ने पंजाब सरकार के बारे में कुछ बातें कहीं। (व्यवधान) ·· आप को महाराजा पटियाला का साथी होने पर फखर है तो मुझे सरदार तेजा सिंह का साथी होने पर फख है।······ (व्यवधान)······ जहां तक गवर्नर के रोल का ताल्लुक है, उसके बारे में दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि पंजाब से करप्ट गवर्नमेंट गई, इनएफिशिएन्ट गवर्नमेंट गई जिसकी हमें खुशी है लेकिन गवर्नर ने एक सही काम गलत ढग से किया इसीलिए वह चर्चा हम लोग करते हैं। हिन्दुस्तान में जब भी किसी स्टेट में प्रेसीडेन्ट रूल हुआ तो विधान की धारा 356 की तहत हुआ यह पासिबिलिटी कि कोई आल्टर्नेटिव गवर्नमेंट बन सकती है या नही, इसको देखने के बाद गवर्नर ने प्रेसीडेन्ट को अपनी रिपोर्ट दी और प्रेसीडेन्ट ने उस रिपोर्ट को मानकर वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल किया। हिन्दुस्तान मे अब तक 26 दफा प्रेसीडेन्ट रूल मुख्तलिफ स्टेट्स में हुआ। लेकिन पंजाब में जब एक सिलसिला चल रहा था तो जरूरत इस बात की थी कि उस बात का भी वे पता लगाते। गवर्नर के रोल दो तरह के हैं। गवर्नर का रोल एक तो बतौर हेड आफ दि स्टेट होता है और दूसरा रोल बतौर प्रेसीडेन्ट के एजेन्ट का होता है। उन्होंने पंजाब

[श्री लाल कपूर]

असेम्बली को तोड़ा तो वह हमारे विधान की धारा 174 (2) के मातहत तोड़ा सरकार के टूटने का तो हमें कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है लेकिन इस दफा की तहत कार्यवाही करना मेरे ख्याल में गलत है। उनको 356 की तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं किया। बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स और तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतना जरूर है कि विधान की यह दफा आज तक हिन्दुस्तान में प्रेसीडेन्ट रूल करने के लिए, स्टेट असेम्बली भंग करने के लिए या स्टेट असेम्बली सस्पेन्ड करने के लिए यूज नहीं हुई जो दफा 174 (2) उन्होंने यहां पर यूज की है। इस दफा को वहां पर यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बात कांस्टीट्यूशनली ठीक हो सकती है लेकिन इस दफा को इस्तेमाल करने की कोई मिसाल या कोई प्रेसीडेन्ट नहीं मिलता है। मैं समझता हूं गवर्नर को बतौर राष्ट्रपति के एजेन्ट के ऐक्ट करने की वहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं आ पड़ी थी। हमारे कांस्टीट्यूशन की कमेन्ट्री में है कि गवर्नर इस दफा को तब इस्तेमाल करे जब स्टेट में गवर्नमेंट तो स्टैबिल हो लेकिन वह गवर्नमेंट नेशन के इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ जा रही हो। पंजाब में ऐसी कोई हालत नहीं थी। वह करप्ट गवर्नमेंट थी जिसके बारे में सरदार दरबारा सिंह ने कुछ बातें कही है। अकाली पार्टी का क्या रोल था, क्या रोल नहीं था या वह सिखों की पार्टी थी यह भी बात गलत है। अकाली पार्टी सिख किसानों, सिख मजदूरों की, सिख मुलाजिमों की या सिख छोटे दुकानदारों की पार्टी नहीं थी बल्कि अकाली पार्टी बड़े बड़े फ्यूडल एलिमेन्ट्स की पार्टी थी। सन् 1967 से लेकर अब तक पंजाब में मिडटर्म पोल के बाद भी अकाली पार्टी का राज्य रहा। इस अकाली पार्टी ने बतौर एक पार्टी के किस सेक्शन की नुमाइन्दगी की? क्या उन्होंने छोटे सिख-किसानों के लिए सोचा? सिख मजदूरों के लिए सोचा? बिल्कुल नहीं। अकाली पार्टी का रोल हमेशा फ्यूडल एलिमेन्ट्स के हक में रहा है और लैंड रिफार्म्स के खिलाफ रहा, मुलाजिमों और हरिजनों के खिलाफ रहा। हमारे जनसंघी भाइयों को हरिजन का नाम लेने से ही तकलीफ होती है। जिस पर जुल्म होगा, उसी का नाम तो हम लेंगे? अगर महारानी ग्वालियर का जिक्र होता है तो आप को दुख होता है उसी तरह से जब हरिजनों का नाम आता है तो हमको दुख होता है। आप अपर सेक्शन को रिप्रेजेन्ट करते हैं। और हम पूअर सेक्शन को रिप्रेजेन्ट करते हैं आपके क्लास पर जब अटैक होता है तो आप को दुख होता है और उसी तरह हमारी क्लास पर जब अटैक होता तो हमें दुख होता है। (व्यवधान)... अकाली पार्टी के हर मिनिस्टर ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाये। क्या इल्जाम लगाये? करप्शन का इल्जाम। पंजाब में जो भाई नहीं रहते उन्हें करप्शन का बिल्कुल पता नहीं लेकिन जो भाई पंजाब में रहते हैं उन्हें मालूम है कि करप्शन का सही मतलब क्या है। एक थानेदार को तब्दील करो तो पांच हजार रुपया ले लो, एक नये तहसीलदार को तब्दील करो तो दस हजार ले लो। एक इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर क्या कमायेगा और क्या वजीर साहब को देगा। एक लेबर इंस्पेक्टर कितना कमायेगा और वजीर साहब को देगा। एक आप इंस्पेक्टर कितना कमायेगा और कितना मिनिस्टर साहब को देगा। पंजाब में अकाली पार्टी का यही रोल था।

16.53 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the chair.*]

मैं तीन चार साल से सुनता आ रहा हूं पंजाब के बारे में कहा गया कि वहां बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। 1966 में जब हमारे बाकी गुरमुख सिंह मुसाफिर वहां के चीफ मिनिस्टर थे तो

उन्होंने सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज की कोशिश की थी और पंजाब को 16 बड़े इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज मिले थे। उनमें से एक लाइसेन्स ट्रैक्टर फैक्टरी का था। हमारे जनसंघी भाई और स्वतंत्र पार्टी वाले जो हैं उनका ताल्लुक बड़े बड़े बिजनेस हाउसिज से हैं। यहां पर 67 में जब गवर्नमेंट बनी तो उसमें जनसंघी भी थे और उसमें अकाली भी थे। पंजाब में किसान टैक्टर लेता है, वह ब्लैक में खरीदता है। वह महाराष्ट्र और उड़ीसा तक जाता है और ब्लैक मे ट्रैक्टर लाता है लेकिन पंजाब में टैक्टर फैक्टरी नहीं लग पाई क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के लीडर फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्टरी चलाते हैं। अगर पजाब में कोई दूसरी ट्रैक्टर फैक्टरी लग जाती है तो उस फैक्टरी के ट्रैक्टर्स की सेल को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और अकालियो ने स्कैंडल किया और उस इडस्ट्रियल लाइसेन्स को वापिस कर दिया। ···(व्यवधान)··· अगर उस फैक्टरी के नाम की जरूरत है तो मैं बताता हूं, एस्कार्टस फैक्टरी का नाम भी लेता हूं। अकाली पार्टी ने पंजाब में किसानो को कितना नुकसान पहुंचाया है? जिस फैक्टरीका प्रोडक्शन 68-69 मे आना था वह फैक्टरी पंजाब में आज भी लगने नहीं पा रही है ताकि आप के बिजनेस हाउसेज को किसी तरह का नुकसान न पहुचने पाये। उनकी नुमाइन्दगी अकाली पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वाले कर रहे हैं। यही नहीं पंजाब मे 16 बड़े लाइसेन्सेज मिले लेकिन अकाली पार्टी का रोल रहा है सरकार से कोआपरेटिव सेक्टर में लाइसेन्स लेना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के नाम पर और फिर उस लाइसेन्स को वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में बेच देना। इतना बड़ा स्कैंडल हिन्दुस्तान की किसी भी सूबाई गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया होगा जोकि पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। लाखों रुपया सन्त जी ने लिया, बादल ने लिया और किया क्या? जो लाइसेंस लिए उनमें बड़े बड़े सरमायेदारों को 49% शेयर देकर हिस्सेदार बनाया। इस तरह से वे पब्लिक के नाम पर बड़े लाइसेन्सेज को बिग मानोपली हाउसेज में कन्वर्ट करते रहे हैं। जो लाइसेन्सेज पब्लिक सेक्टर के लिए थे उनको उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की फैक्टरीज में कन्वर्ट कर दिया। यह पंजाब की अकाली सरकार का स्कैंडल है जिसकी जांच होनी चाहिये।

17.00 hrs.

पंजाब में करप्शन की चर्चा हो रही है। प्रेसीडेन्ट रूल है, हर मिनिस्टर ने करप्शन किया, हर आदमी ने करप्शन किया, अकाली पार्टी के मेम्बरान, हमारे जत्थेदार किसी टीचर का तबादला कराने जाते हैं तो हजार, पांच सौ रु० उसका खर्च करा देते हैं। इलेक्शन के बाद अकाली पार्टी की हार हुई, मेरा मतलब मिड टर्म पोल से है जो पार्लियामेंट के लिये हुआ, इसका नतीजा यह हुआ कि 22,000 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने स्टे किया। और न जाने कितने मुलाजिमों को सस्पेंड किया। एक रैन आफ टैरर अकाली पार्टी ने पैदा कर रखा था। उन्होंने लोगों की भलाई का कोई काम नहीं किया। इसलिये आज पंजाब का हर आदमी खुश है कि यह सरकार चली गयी। इस सरकार के जाने की, सिवाय फ्यूडल एलीमेंट और जत्थेदारों के, सब को खुशी है, किसी को कोई अफसोस नहीं है। आम आदमी पंजाब का खुश है।

सर्विसेज का यह हाल था कि आई०सी० एस० और आई० ए० एस० लोग रबर की मोहर बनकर रह गये थे क्योंकि जत्थेदार लोग उनके पास बैठकर धमकी देते थे कि यह काम करो नही तो सस्पेंड कराते हैं।

लैंड रिफार्म के सिलसिले में पंजाब ने कोई काम नहीं किया। जरूरत इस बात की है कि लैंड रिफार्म तेजी से किया जाय। आज पंजाब में दो एक्ट्स चलते हैं। एक पैप्सू लैंड टैन्योर ऐक्ट 1953 और दूसरा है पंजाब लैंड टैन्योर सेक्योरिटी ऐक्ट, 1953। दोनों ऐक्ट्स के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। एक ऐक्ट के अन्दर

[श्री सत पाल कपूर]

आप मुजारों को बेदखल कर सकते हैं और दूसरे के अन्दर मुजारों को बेदखल नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि पैप्सू ऐक्ट को सारे पंजाब में लागू कर दें और उसमें जितने ऐग्जेम्पशन्स दिये हुए हैं, बाग, मेकेनाइज्ड फारमिंग के लिये जितने ऐग्जेम्पशन्स दिये हुए हैं, उसको विदड्रा करके पैप्सू ऐक्ट को पंजाब में लागू कर दें तो छोटे टेनेन्ट्स को और गरीब काश्तकार को बहुत फायदा होगा। इस तरीके से आप पंजाब में फ्यूडल एलीमेंट को खत्म कर सकेंगे।

इस बजट में आप इंटैरिम रिलीफ की कोई बात नहीं कही। आप मुलाजिमों को इंटैरिम रिलीफ दीजिये, जैसे सेन्टर में दी। साथ ही जो विक्टमाइजेशन पंजाब के मुलाजिमों का बादल सरकार ने किया है उसको आप वापस लीजिये। जो 22,000 टीचर्स को ट्रांसफर किया है उसको वापस लीजिये। जो मुकदमे नाजायज तौर पर बनाये गये हैं उनको वापस कीजिये। पंजाब में नौर्मल पब्लिक लाइफ को वापस लाने के लिये ये चीजें बहुत जरूरी हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : चेयरमैन साहब, मजहब की बिना पर तंगदिली तो होती देखी है, और सुना भी है कि मजहबी इख्तिलाफात की बिना पर लोगों को जिन्दा जलाया गया है। लेकिन सियासी इख्तिलाफत की बिना पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती कि जिस में ठीक को ठीक कहे या गलत को गलत कहे।

मुझे अफसोस है कि चन्द मुअज्जिसाथियों ने हर बात पर कांग्रेस को गरदानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहां से सिगनल दिया गया कि वजारत को गिराया जाय। अगर वजारत से डिफेक्शन की बात की जाय तो उस तरफ के लोग सब से ज्यादा जिम्मेदार हैं। 1967 में 104 के हाउस में कांग्रेस के 48 मेम्बर थे। अगर कांग्रेस को गवर्नमेंट हो बनानी होती तो उस के लिये चार, पांच आदमियों को खरीद लेना कोई मुश्किल नहीं था, और अपनी वजारत बना लेती। मगर कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि क्योंकि अवाम ने हम को मैजौरिटी नहीं दी इसलिये दूसरी पार्टी को मौका दिया कि वह अपनी गवर्नमेंट बनाये।

सबसे पहले डिफेक्शन के सरदार जिनको कहा जायें तो वह यहां इस हाउस में बैठे हुए एक मेम्बर हैं जो आज बहुत जोर से बोल रहे हैं। मगर पंजाब और हरियाणा में जो शुरूआत हुई तो सबसे पहले उन साथियों की तरफ से हुई जो आज डिफेक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं। जो मौजूदा वजारत थी उस पार्टी के मेम्बरान में, खास करके जो वजीर थे, उन में 40 परसेंट मेम्बर ऐसे थे जो कांग्रेस से डिफेक्ट कर गये। इसलिये जिन में 40 परसेंट डिफेक्टर्स हों वह कहें कि यहा से डिफेक्शन कराये गये, यहां से हरी झंडी दी गयी वजारत को गिराने की, यह बात समझ में नहीं आती। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बल्कि अकाली पार्टी के लीडर ने खुद कहा कि उन के लिये वजारत चला सकना अब मुश्किल है। इसलिये मैं माननीय ज्योतिर्मय बसु से कहूंगा कि हर बात कांग्रेस के खिलाफ न कहें वरना सी० पी० एम० पर लोगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा है वह भरोसा भी खत्म हो जायगा।

यह कहना कि अवाम से चुनी हुई वजारत को कांग्रेस ने गिरा दिया इस को अगर देखना है तो पंजाब में गली, कूचे में देखिये, वहां के शहरों में देखिये। नई दिल्ली के ऐवान में बैठकर न देखिये। आप देखिये कि पंजाब की जनता इस बारे में क्या सोचती है। मेरे पास आज एक चिट्ठी आयी है, मैंने पूछा कि गवर्नमेंट कैसी थी, तो उसने लिखा है कि "हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा।" आज पंजाब में चौथे वजारत बनाया जा रहा है क्योंकि अकाली पार्टी किसी उसूल

पर नहीं थी, जज्बाती और मजहबी जनून पर बनी थी। एक ने पांच एकड़ पर से मालगुजारी माफ कर दी तो दूसरे ने 10 एकड़ कर दी। कोई मैरिट पर फैसला नहीं होता था।

मेरे एक साथी अफसर हैं, वह मिनिस्टर साहब से मिलने गये तो मिनिस्टर साहब पूछने लगे कि तुम को नौकरी करनी है कि नहीं? उसने कहा मेरा क्या कसूर है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम दाढ़ी को कैंची लगाते हो। तो उसने कहा कि दाढ़ी की लम्बाई देख कर तरक्की दी जायगी। इस पार्टी के मिनिस्टर साहब तालीम के बारे में कुछ नहीं जानते, वह स्कूलों में जाकर बच्चों को कड़े और कच्छे पहनाते थे। इसलिये जरूरत इस बात की है कि एक जो मौका मिला है पंजाब के अवाम की भलाई करने का तो हम सब मिल कर ऐसी सरकार चुने जो मजहबी जनून पर न हो बल्कि अवाम की भलाई के लिये हो।

जो जो ज्यादतियां पंजाब मे सर्विसेज पर हुई हैं उनको खत्म करना चाहिये। अकाली पार्टी के तबके की और उस तबके में भी एक खास तबके की, फ्यूडल लोगों की, सरकार थी। माइनारिटी कम्युनिटी के जितने भी बड़े-बड़े अफसर थे उनको अनइम्पौरटेंट जगहों पर भेजा गया। मेरे अपने जिले के एस० पी० को सिर्फ इसलिये निकाल दिया गया कि वह इनकी धांधली बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं समझता था और मिनिस्टरों की सब-इंस्पेक्टरर्स से माहवारी लेना गवारा नहीं करता था। इस तरह की जो ज्यादतियां हुई हैं उन को दूर किया जाय। मैं यह कहूंगा कि जो जो ज्याद-तियां हुई हैं उनको दूर करने की जिम्मेवारी इस हाउस पर है। चूंकि हाउस में सरकार बजट पेश करती है, जहां वह टीचर्स और छोटे मुलाजिमों के तबादले को रोके वहां यह भी देखे कि इस मिनिस्ट्री के दौरान उन पर जो ज्यादतियां हुई हैं उनको भी दूर किया जाय।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, मैंने अपने दोस्तों की तकरीरें बहुत गौर से सुनी हैं। पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि हिन्दुस्तान में एक ही गवर्नर असली गवर्नर साबित हुआ है, और वह है पावटे। मैं उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता। आज तक किसी गवर्नर ने यह नहीं समझा कि कांस्टिट्यूशन की धारा 174 में गवर्नर के अख्त्यारात क्या हैं। हमारे दोस्तों ने ऐतराज किया कि गवर्नर ने खुद ही फैसला कर लिया। आर्टिकल 174 में दो ही चीजें हैं कि गवर्नर असेम्बली को प्रोरोग कर सकता है और गवर्नर असेम्बली को डिजाल्व कर सकता है। कोई दूसरी चीज नहीं, और यह सिर्फ गवर्नर को ही अख्त्यार है। एक ही गव-र्नर पंजाब में हमारे सामने आया जिसने सही मानों में अपने गवर्नर वाले अख्त्यार को इस्तेमाल किया। अगर उसने खुफिया तौर पर इंस्ट्रक्शन ली हो तो हमें उस से कोई सरोकार नहीं। हो सकता है उन्होंने किसी से पूछा हो, लेकिन इस कांस्टिट्यूशन की तहत गवर्नर को फैसला करने का अख्त्यार हासिल है। यह फैसला हमारे सामने पंजाब में आया।

मुझे कुछ बातें कहनी हैं जिनका ताल्लुक हरियाणा के साथ इन्साफ का है। अकाली दल से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूं कि अकाली दल की सरकार टूटी तो जनता को जरूर सुख मिला है, और सबसे ज्यादा सुख फाजिल्का और अबोहर के लोगों को मिला है, जिन लोगों को प्रधान मन्त्री के अवार्ड के बाद दबाया जा रहा है। वहां सारे तरक्कियाती प्रोग्राम बन्द थे, कोई भी तामीरी काम नहीं होता था। नहरों का पानी फाजिल्का और अबोहर के लोगों को नहीं दिया जा रहा था और सरकार की शह पर नहरें काटी जा रही थी। फाजिल्का और अबोहर के लोगों के हिस्से का पानी ऊपर के पंजाब के खेतों में दिया जाता था और वहां के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थीं। यहां तक कि जैसा आप को मालूम है अबोहर और फाजिल्का के इलाके हिन्दी भाषी थे, वहां के लोगों पर

[श्री प्रबोध चन्द्र]

पंजाबी जबान थोपी गई। बच्चों को हिन्दी पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। लोग शोर करते रहे और भारत सरकार से कोई मदद करने के लिये कदम नहीं उठाया। आज भारत सरकार के हाथ में, और इस पार्लियामेंट के हाथ में पंजाब की हुकूमत की बागडोर है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बेइन्साफी अबोहर और फाजिल्का के इलाके के लोगों के साथ हुई है वह दूर की जायेगी चाहे इस इलाके को चण्डीगढ़ के साथ सरकार अपने हाथ में लें। और यह भी चाहूंगा कि हरियाणा का जो पानी, उसके हिस्से का पंजाब से नहीं आ रहा है वह हरियाणा को दिलाने के लिये भारत सरकार गौर करे। पंजाब के लोगो ने वेस्टन जमुना फीडर कैनाल नहीं बनने दी। उस के हिस्से का पानी इसलिये नही मिला कि रोपड़ का हेडवर्क्स पंजाब में है जिस पर पजाब के अफसरों का कब्जा है। भाखरा का ज्वायेंट बोर्ड हैं लेकिन नगल हेडवर्क्स पंजाब के अफसरों के कब्जे में है।

मैं आखीर मे अर्ज करूंगा कि कांग्रेस का किरदार अकेली दल से बेहतर नही है पंजाब के अन्दर। मैं उनको याद दिलाऊंगा कि जिस तरीके से उन्होंने सरदार लक्षमन सिह गिल को अकाली दल से तोड़कर चीफ मिनिस्टर बनाया, वही सरदार लक्षमन सिह गिल उन्हें बुरे लगे। जिस तरह से उन्होंने पहले सरदार लक्षमन सिह गिल को पहले तोड़ करके चीफ मिनिस्टर बनाया था उसको देखते हुए जो कुछ गवर्नर ने किया वह ठीक किया। सब गवर्नरों ने अलग अलग यार्डस्टिक का इस्तेमाल किया। एक फैसला लिया हरियाणा में डिफेक्शन बन्द करने के लिये और दूसरा फैसला लिया अजय मुकर्जी और गिल को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिये। मै अर्ज करूंगा कि इस गवर्नर ने एक जगह से एक ही यार्डस्टिक इस्तेमाल किया है। एक राजधानी में दो गवर्नर है। दुनिया में कोई कहीं पर दो गवर्नर नहीं हैं एक शहर मे। हरियाणा और पंजाब के गवर्नर ने एक यार्डस्टिक से पालिटिक्स को नापा है डिफेक्शन को रोकने के लिये और इसलिये मैं उन को समर्थन देता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members who have taken part in and contributed to the debate.

Later on, this House will have an opportunity to discuss the Statutory Resolution approving the Presidential Proclamation. So, at this stage, I will not go into the various political points that have been raised by the hon. Members in regard to the role of the Governor, in regard to the role of various political parties and in regard to the character of the Ministry.

Consequent to the President's taking over the administration of the State of Punjab, this Budget had to be placed before the Parliament. All I wish to mention is that after the dissolution of the Punjab Assembly by the Governor, the President was left with no other alternative but to impose the President's Rule. The late Akali Ministry had proposed a vote on account lasting till end of June. This House is now called upon to vote for the entire Budget.

There are a few specific points which I would like to reply. A mention has been made about power shortage. The Government of Punjab itself is aware of the serious shortage of power and various steps have been taken to augment the power supply. In order to bridge the gap and to meet the growing demand, a provision of Rs. 15.90 crores has been made in the Budget for power projects and Rs. 14.25 crores for multi-purpose projects. An additional capacity of 3500 MW is proposed to be installed for which a number of generation projects would be undertaken. Top priority is being given to the execution of Guru Nanak Thermal Plant (First Unit). In addition, the Punjab Electricity Board is acquiring immediately 54 diesel generating sets of the total capacity of 63.24 MW.

An hon. Member referred to the utilisation of Ravi waters. The State is committed to go ahead with the execution of the Thein Dam Project for the full utilisation of Ravi waters withdrawn from Pakistan and the question of clearance of this Project has been taken up with the Government of India and the necessary work of exploration and survey of this Project has been taken up.

As you know, Punjab is a fairly developed State as far as agricultural production is concerned and also as far as the development of small-scale industries is concerned. The State income of Punjab is fairly high. It was about Rs. 500.15 crores in 1965-66 and it has risen to Rs. 698.15 crores in 1970-71. The growth rate of Punjab has been 6.9 per cent per annum. In the agricultural sector, it has been 8.1 per cent per annum and the growth rate in small-scale industries has been 7.1 per cent per annum. Nearly, Rs. 8.11 crores have been given as loans for setting up tube-well during 1970-71 and, as far as utilisation of A. R. C. finance is concerned, the State continues to be the highest.

Another point raised was about Government employees. In the Budget Speech of the former Finance Minister it was stated that an additional expenditure of Rs. 1 crore per annum will be involved for removing anomalies in revised pay-scale, as far as school teachers are concerned. Consequent to the Kothari Commission's recommendations which have been given effect to from 1st November, 1966, the State Government considered the representations of teachers and various other categories and accepted to remove certain of these anomalies. This will involve an expenditure of Rs. 3 crores. So, this expenditure of Rs. 4 crores has been provided in this Budget.

These are some of the highlights of the Budget. With these words, I commend it to the House.

MR. CHAIRMAN: Now, I put the Demands for Grants in respect of Punjab for 1971-72 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab *to complete* the sums necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1972, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 1 to 51."

The motion was adopted.

17.20 hrs.

PUNJAB APPROPRIATION BILL, 1971*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Before I move the Appropriation Bill, I have to make a correction here. Because you know this Appropriation Bill had to be printed at break-neck speed, an error has crept in. In page 2, line 17, column 3 under the heading 'Charged on the Consolidated Fund'. there is a printing mistake. Instead of Rs. 15,52,38,900 it has been mentioned as Rs. 15,52,38, 00. Therefore, this should be corrected as Rs. 15,52,38,900.

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of the financial year 1971-72.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of the financial year 1971-72."

The motion was adopted

SHRI K. R. GANESH: I introduce† the Bill.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2 dated 21.6.71.

† Introduced with the recommendation of the President.